रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 17, 1987/आश्विन 25, 1909

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1987/ASVINA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)
(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1987

सा. का. नि. 765:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व पुनर्वास विभाग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम 1978 का अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर आंशिक अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पुनर्वास प्रभाग, आन्तरिक सुरक्षा विभाग—गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (मानीटरिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम पुनर्वास प्रभाग अनुसंधान सहायक (मानीटरिंग) भर्ती नियम, 1987 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—संख्या उसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है।

3. भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, योग्यताएं आदि . उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा इनसे सम्बन्धित अन्य बातें उपरिलिखित अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

4. अयोग्यताएं . कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह तय किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित है या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह तय किया हो वह उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

87/1249/GI—1

8	9	10	11	12	13
			(Departmental Officer will not be eligible for deputation. Similarly deputationist will not be eligible for promotion) (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed 4 years)		

[No. F. 11-3/87-Cd. 1]
N. SIKDAR, Dy. Educational Advisor

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1987

सा० का० नि०: 773 --भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 443 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 (जिसे इसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मै० स्नाम्प्रोगेति, एस० पी० ए० (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में, विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गयी है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-12-1986 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बाबत भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्रतियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण-पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया हो।

(ii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-1986 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[संख्या 14/11/87-सी०एल०—VI]

केवल कृष्ण, अवर सचिव
बोर्ड

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Company Affairs)

New Delhi, the 6th October, 1987

G.S.R. 773.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Snamprogetti, S.P.A. (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended 31-12-1986 the company submits to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under Clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India.

(ii) A statement of the company assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by persons as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended 31-12-1986.

By Order of the Company Law Board

[No. 14/11/87-CL. VI]
KEWAL KRISHAN, Under Secy.
to the Company Law Board.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1987

सा.का.नि. 774.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा नियम, 1981 में, नियम 7 के उप नियम (2) स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. (क) कनिष्ठ वेतनमान में पचास प्रतिशत रिक्तियां, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा तथा परीक्षा की किसी ऐसी स्कीम के जो समय समय पर आयोग से परामर्श करके सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आधार पर आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी, और—

(ख) कनिष्ठ वेतनमान में शेष पचास प्रतिशत रिक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 4 में यथा उपबन्धित सम्यक् रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा गुणागुण के आधार पर तथा चयन के आधार पर अनुसूची 3 के क्रम संख्यांक 6 के सामने चौथे स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वालों में से प्रोन्नति के सुसंगत क्षेत्र से अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।"

टिप्पण:—मूल नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-बी(डी) सा.का.नि. 578 (ईआई), तारीख 4-11-81 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 5-11-81 में प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81—बी (डी) सा.का.नि. 573 (ई), तारीख 13-9-1982

(2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1485—बी (डी) सा.का.नि. 726 तारीख 6-9-86

[सं. 2/4/86—एस-3-बी (डी)]

वी.के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 14th September, 1987

G.S.R. 774.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, for sub-rule (2) of rule 7 the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) (a) Fifty per cent of the vacancies in the Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a competitive examination conducted by the Commission on the basis of educational qualifications and age limit specified in Schedule-II and any scheme of examination that may be notified by Government in consultation with the Commision from time to time, and

(b) The remaining fifty per cent of the vacancies in the Junior Scale shall be filled by the Controlling Authority by Promotion of officers from the relevant field of Promotion possessing the minimum qualifying service as specified in fourth column against serial number 6 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule-IV."

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3(i), dated 5-11-1981 vide Government notification, Ministry of Information and Broadcasting No. 301/1/81-B(D) GSR 578(EI) dated 4th November, 1981 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. 301/1/81-B(D) GSR 573(E) dated 13th September, 1982 published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(i).

(ii) Government notification No. 301|14|85-B(D) GSR 726 dated 6th September, 1986 published in the Gazette of India Part II Section 3(i).

[No. 2/4/86-S. III/B(D)]

V. K. ARORA, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग)

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1987

सा.का.नि. 775 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1987 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।